

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 409]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 अगस्त 2011—भाद्र 7, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. एफ (ए) 3-29-2010-1-पांच(63).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 11 और 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, स्वामियों के वर्ग को, जो/जिन्होंने,—

(एक) उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं; और

(दो) मध्यप्रदेश राज्य में एक नई पर्यटन परियोजना स्थापित की हो, पैराग्राफ 4 में विनिर्दिष्ट ऐसे निर्बंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) के अधीन मनोरंजन पर कर तथा मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क और विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) (जो इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 के अधीन मनोरंजन शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है.

2. (एक) मनोरंजन की ऐसी समस्त मदों पर जो स्थाई स्वरूप की हैं, संचालन की तारीख से दस वर्ष की कालावधि के लिए, और

(दो) मनोरंजन के कार्यक्रमों पर, जो अस्थाई स्वरूप के हैं, संचालन की तारीख से छह वर्ष की कालावधि के लिए, छूट उपलब्ध होगी.

3. पैराग्राफ-2 में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि नई पर्यटन परियोजना, विशेष पर्यटन क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में जैसा कि पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित किया जाए, स्थापित की जाती है, तो छूट, संचालन की तारीख से दस वर्ष की कालावधि के लिए उपलब्ध होगी.

4. इस अधिसूचना के अधीन छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध होगी:—

(एक) स्वामी, नीचे विनिर्दिष्ट रीति में, इस प्रयोजन के लिए अधिकृत अधिकारी से पात्रता प्रमाण-पत्र अधिप्राप्त करेगा.

- (दो) यदि स्वामी को पात्रता प्रमाण-पत्र, उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के दुर्ब्यपदेशन के कारण या उसके द्वारा दी गई गलत या मिथ्या जानकारी के आधार पर जारी किया गया है तो प्रमाण-पत्र, उस तारीख से विखंडित कर दिया जाएगा जिसको कि वह जारी किया गया था और तदुपरि इस अधिसूचना के अधीन दी गई ऐसी छूट वापस हो जाएगी और वह संपूर्ण कर की रकम, जिसकी छूट का लाभ रद्दकरण की तारीख तक ले लिया गया है, स्वामी से एक किश्त में वसूली योग्य होगी;
- (तीन) स्वामी, मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर नियम, 2011 में यथा विहित रूप में लेखा संधारित करेगा;
- (चार) स्वामी अधिनियम के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित विवरणियां नियमित रूप से प्रस्तुत करेगा;
- (पांच) पात्रता प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि, स्वामी द्वारा, उसकी तिमाही विवरणी के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

5. (एक) जहां स्वामी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन नीति, 2010 के अधीन विभिन्न कर रियायतें प्रदान करने के लिए गठित की गई समिति को पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकृत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, स्वामी पर क्षेत्राधिकार रखने वाले उपायुक्त, वाणिज्यिक कर/महाप्रबन्धक, पर्यटन विकास निगम, व्यवसाय स्थल का संयुक्त रूप से निरीक्षण करेंगे तथा विशिष्टतां सत्यापित करेंगे और उसके पश्चात् रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत करेंगे;

(दो) समिति, इस अधिसूचना के अधीन कर के भुगतान से छूट के लिए स्वामी की पात्रता न्यायनिर्णयन करेगी;

(तीन) समिति, प्रत्येक मामले पर विचार करने के पश्चात् यह विनिश्चय कर सकेगी कि पात्रता प्रमाण पत्र मंजूर किया जाए या उसके लिए किए गए आवेदन को खारिज कर दिया जाए या अतिरिक्त जानकारी मंगाई जाए;

(चार) पात्रता प्रमाण पत्र, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश या इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा;

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के अधीन छूट के प्रयोजन के लिए,—

(एक) “नई पर्यटन परियोजना” से अभिप्रेत है ऐसी पर्यटन परियोजना, जो 20 अक्टूबर, 2010 को अर्थात् जिस दिन मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन नीति, 2010 प्रभावशील हुई है, या उसके पश्चात् स्थापित की गई है या जिसका संचालन प्रारंभ किया गया है।

(दो) “विशेष पर्यटन परिक्षेत्र” से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जो पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. एफ ए 3-29-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-29-2010-1-पांच, (63), दिनांक 29 अगस्त 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th August 2011

F-A-3-29-2010-1-V-(63).—In exercise of the powers conferred by Section 11 and 12 of the Madhya Pradesh Vilasita Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011) (hereinafter referred to as the principal Act), the State Government, hereby, exempts the class of proprietors, who,—

(i) are registered under the said Act; and

(ii) have set up a New Tourism Project in the State of Madhya Pradesh, from payment of tax on entertainment under sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (1) of Section 6 of the said Act and entertainment duty

under section 3 of the Madhya Pradesh Entertainments duty and Advertisements Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936), (here in after referred to as the repeated act) subject to such restrictions and conditions specified in paragraph 4.

2. The exemption shall be available—

- (i) for a period of ten years from the date of operation on all such items of entertainment that are of permanent nature; and
- (ii) for a period of six years from the date of operation on entertainment programmes that are of temporary nature.

3. Notwithstanding anything to the contrary contained in paragraph 2, if the New Tourism Project has been set up in a Special Tourism Zone or in an area as may be notified by the Tourism Department, Government of Madhya Pradesh, the exemption shall be available for a period of ten years from the date of operation.

4. The exemption under this notification shall be available subject to the following conditions :—

- (i) The proprietor shall obtain an eligibility certificate from the officer authorized for the purpose in the manner specified below.
- (ii) If an eligibility certificate has been issued to a proprietor due to misrepresentation of facts or on the basis of incorrect or false information furnished by him, the certificate shall be revoked from the date it was issued and thereupon the exemption under the notification shall stand withdrawn and the entire amount of tax in respect of which exemption has been availed of up to the date of cancellation shall be recoverable from the proprietor in one installment;
- (iii) The proprietor shall maintain accounts as prescribed in the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Niyam, 2011;
- (iv) The proprietor shall regularly furnish the returns required to be furnished under the act;
- (v) A copy of the eligibility certificate shall be furnished by the proprietor along with his return for the quarter.

5. (i) Where an application for grant of an eligibility certificate is made by the proprietor to the Committee constituted for the purpose of granting different tax concessions under the Madhya Pradesh State Tourism Policy, 2010, the Deputy Commissioner, Commercial Tax/General Manager, Tourism Development Corporation, having jurisdiction over the proprietor, shall jointly inspect the place of business and verify the particulars and thereafter submit a report to the Committee;

(ii) The Committee shall adjudge the eligibility of the proprietor for exemption from payment of tax under this notification;

(iii) The Committee may after consideration of each case decide to grant the eligibility certificate or to reject the application made therefor or call for additional information;

(iv) The eligibility certificate shall be issued by the Commissioner, Commercial Tax, Madhya Pradesh or by the officer authorised for this purpose.

Explanation.—For the purpose of exemption under this notification.—

(i) "New Tourism Project" means such tourism project which has either been set up or has commenced operation on or after 20th October, 2010 i. e. the day on which the Madhya Pradesh State Tourism Policy, 2010 came into effect.

(ii) "Special Tourism Zone" means the area as may be notified by the Tourism Department, Government of Madhya Pradesh.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. YADAV, Addl.Secy.